न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 25/2023

श्री अंसार अहमद पुत्र फैज मोहम्मद, तालकटोरा, सोहराब खां की हवेली जिला टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्र.अ. भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर टोंक)
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 23.08.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव प्र.अ. भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) को आवेदन पत्र दिनांक 25.05..2023 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

निम्न बिंदुओ पर विस्तृत सूचना प्रदान करे।

1. भूमि खसरा नम्बर 6036 एवं 6050 के खातेदार मुस्तफा खां एवं मुर्तजा खां थे जिसके हाल खसरा नम्बर 6544 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा शर्की टोंक जिले के कमले के पास नेशनल हाईवे एनएच 12 पर. स्थित है, जिसका कुछ भाग एनएच 12 में चला गया है, जिसके एक भाग 6544/3 रकबा 1.7073 वाला भाग राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 12 में चला गया था तो निम्न सूचना इसमें देवें ।

(1) खसरा नम्बर 6544/3 खातेदार राजस्थान सरकार में विभाग द्वारा कुल मुआवजा कितने रूपयों का दिया गया। चौक दिया गया या नकद दिया गया इसकी छायाप्रतिलिपि उपलब्ध करवायें ।

(2) उक्त खसरा नम्बर के संबंध में विभाग के पास जो आदेश व जानकारी है उसकी छायाप्रति उपलब्ध करवाई जाये

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्र.अ. भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) को पत्र क्रमांक 601 दिनांक 11.07.2023 व 727 दिनांक 28.07.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्र.अ. भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) ने पत्र क्रमांक /भू.अवा/विविध/2023/127 दिनांक 22.08. 2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 107 दिनांक 12.07.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्र.अ. भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) एन. एच. 12 तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक